17/12/24 वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/12/24 को पेश हो।

24/12/24 वकील प्रार्थी उपस्थित गतआदेशानुसार पत्रावली दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

28/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नीमकाथाना ने अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है पत्रावली गतआदेशानुसार दिनांक 24/4/25 को पेश हो

24/4/2025 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 राजस्व ग्राम बगडावा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 315 रकबा 1.11 हैक्ट0 प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 369 / 2024

निर्णय दिनांक

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम बगडावा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 315 रकबा 1.11 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2024 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी पक्षकार को कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे।** तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not ...
Digitally signed by ...
Yadav
Date: 2025.05.26 ...
Reason: SelfAttes...

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

...जबीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)